जुगलपुरा

18-10-2022

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर:– 72 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
18.10.2022	पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 में आयोजित कैम्प ग्राम पंचायत जुगलपुरा में दिनांक 06.10.2021 में राजस्व ग्राम जुगलपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1689, 1694, 1691, 1690, 1680, 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5, 1669, 1672, 1851, 1886 में से जुगलपुरा में गूर्जर की थड़ी से सती माता के मंदिर तक के रास्ते को मुताबिक निर्णय आदेश दिनांक 06.10.2022 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए थे। आदेश में खसरा नम्बर 1846 की बजाय .खसरा नम्बर 1886 दर्ज हो जाने पर उक्त आदेश में दर्ज खसरा नम्बर 1886 के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रास्ता दर्ज करने के शुद्धि आदेश दिनांक 30.08.2022 को जारी किये गये। सिवायचक खसरा नम्बर 1846, 1851 में ऑनलाईन नक्शे में तकनीकी खामियॉं होने से खसरा नम्बर 1846 में से प्रस्तावित रकबा 0.32 हैक्टर का अमल मुताबिक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के किया जाना संभव नहीं होने पर प्रस्तावित आदेश के वर्तमान खसरा नम्बर 1846 में केवल रकबा 0.14 हैक्टर व वर्तमान खसरा नम्बर 2095/1669 में प्रस्तावित रकबा 0.18 हैक्टर नजरी नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, जारी निर्णय आदेश की प्रति, प्रस्ताव की फोटो प्रति, जमाबन्दी की फोटोप्रति इत्यादि भी पेश की है। जिसके सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वार्ता की जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त खसरा नम्बरान् में 1846 में रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 2095/1669 में रकबा 0.18 हैक्टर नजरी नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में शुद्धि आदेश कर दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का वृत्त सांवलपुरा तं[illegible] की रिपोर्ट के आधार पर की है। हमने पत्रावली व [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात् यथा नजरी नक्शा [illegible] 2074–2077, पटवारी हल्का स[illegible]यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1846 में से प्रस्तावित रकबा 0.32 हैक्टर के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 2095/1669 में रकबा 0.18 हैक्टर को नजरी नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा भिजवाये गये है। जिसको शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

18/X/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर वार्ड अहकाम हुक्म के जारी हुए
	अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौखिक अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वृत्त– सांवलपुरा तंवरान के अनुसार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा व ऑनलाईन नक्शें में ग्राम जुगलपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1846 में से प्रस्तावित रकबा 0.32 हैक्टर के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 2095 / 1669 में रकबा 0.18 हैक्टर में रास्ता दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested